





## BEFORE THE BOARD OF REVENUE MADHYA PRADESH

**GWALIOR** 

PBR | निगरानी | उज्जेन | भू-रा | २० 17/1874

Case No.

/2017 Revision

थी है है है है को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 28-6·1) शजस्य गण्डल म.प्र ग्वालियण

Str. Of Cint

 Commissioner, M.P, Housing and Infrastructure Development Board, Head Office Prayawas Bhawan, Jail Road, Bhopal (M.P)

2. Dy. Housing Commissioner, MP Housing and Infrastructure Development Board, Circle Uijain (M.P)

Executive Engineer, MP
Housing and Infrastructure
Development Board,
Division Ujjain (MP)

Vs

Respondent

Pramod Kumar Jain; S/o- Late Shri Hukum Chandra jain, Age- Adult, R/o- Village Makodia Aam Distrist Ujjain

## REVISION UNDER SECTION 50 OF MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE 1959 AGAINST THE DEMARCATION MADE BY THE REVENUE AUTHORITY

The humble applicant most respectfully submits his revision application as under:-

 That, the facts of the case are that the applicant who is a government undertaken board which was constituted for providing the house and developed plots to public.







## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/1874

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/1874		
स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख	e e
	के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में	
	दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन	2 s
	संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के	
	अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
	सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु	1-
	कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु	22
	दिनांक २५५५ को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित	
	'हों। प्रशासकीय सदस्य	8
,		2 .
		_
		40
	1/ to 1/2	
	ti in the second of the second	
	3	